

9.6
25

पत्रावली पेश हुई। तदानीं तदाल बीदावली
से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी
नं. 1 की प्रत्यक्ष को मुनी है। वादी
को को से कोई सम्बन्ध
उपस्थित नहीं। न ही वादी उप.
अह. प्रथम प्रकार का कदम जारी
कदम चैरनी में खारिज किया
जाता है। पत्रावली के अंतर्गत
केवल नमूने से बना है।

सहायक कलेक्टर
घड़ीसावड़ी

